सं. 193] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2004/अग्रहायण 23, 1926
No. 193] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2004/AGRAHAYANA 23, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 3 दिसम्बर, 2004

सं. टीएएमपी/34/2004-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में विलम्बित भुगतान/धन वापसी पर दण्ड-ब्याज लगाने के बारे में दिनांक 4 फरवरी, 2000 और 8 अप्रैल, 2002 के इस प्राधिकरण के आदेशों के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले मुम्बई और न्हावा-शेवा शिप एजेन्ट्स एसोसिएशन (मानसा) से प्राप्त निर्देश को संलग्न आदेशों के अनुसार निपटाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /34/2004 -जेएनपीटी

मुंबई और न्हावा-शेवा
शिप एजैन्ट्स एसोसिएशन

आवेदक

आदेश

(नवम्बर 2004 के 18 वें दिन पारित)

यह प्रकरण जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) में विलम्बित भुगतान / धन वापसी पर दण्ड ब्याज लगाने के बारे में इस प्राधिकरण के दिनांक 4 फरवरी 2000 और 8 अप्रैल 2002 के आदेशों के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले मुंबई और न्हावा-शेवा एजेन्ट्स एसोसिएशन (मानसा) से प्राप्त निर्देश से संबंधित है ।

2. मानसा द्वारा उल्लेख किए गए मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

(i) इस प्राधिकरण ने उपयोगकर्त्ताओं द्वारा विलम्बित भुगतान पर और महापत्तनों द्वारा विलम्बित धन वापसी पर दण्ड-ब्याज लगाने के लिए फरवरी 2000 में एक आदेश पारित किया था । जेएनपीटी के अनुरोध पर अप्रैल 2002 में पारित एक अन्य आदेश द्वारा इसके पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्तन किया गया था ।

(ii) जबकि जेएनपीटी ने एक लेखा (गणना) प्रणाली लागू की है जिसके द्वारा (दण्ड) ब्याज तुरंत बिल में जुड़ जाता है और उपयोगकर्त्ताओं से वसूल लिया जाता है, किन्तु विलम्बित धनवापसी पर, उपयोगकर्त्ताओं को ब्याज की (ऐसी ही) अदायगी के लिए कोई प्रणाली नहीं है ।

(iii) प्राधिकरण के आदेश के अनुसार पत्तन न्यास यदि धन वापसी / छूटों का भुगतान निर्धारित अवधि 20 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो धन वापसियों / छूटों पर दण्ड ब्याज के देनदार हैं । जेएनपीटी छूटों और लागत बिलों की धन वापसी करने के लिए प्रशुल्क के अनुसार 6 सप्ताह से अधिक का समय ले रहे हैं । इन विलम्बित भुगतानों पर दण्ड-ब्याज का दावा करने वाले उपयोगकर्त्ताओं के आवेदनों को जेएनपीटी द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है ।

(iv) छूट, दरमान में प्राधिकृत किए गए के अनुसार कटौती किया गया / किसी सेवा के लिए प्रदत्त प्रशुल्क की धन-वापसी है ।

(v) प्राधिकरण, जेएनपीटी द्वारा छूटों के विलम्बित भुगतान पर दण्ड ब्याज की देनदारी स्पष्ट करे ।

3. अपनाई गई परामर्शी प्रक्रिया के अनुरूप मानसा द्वारा भेजे गए निर्देश (रैफरैन्स) की एक प्रति जेएनपीटी को उसकी टिप्पणी के लिए भेजी गई थी । जेएनपीटी दिनांक 9 जून 2004 के अपने पत्र के माध्यम से अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की जो संक्षेप में निम्नानुसार है:-

(i) जेएनपीटी के स्वीकृत दरमान के अनुसार, धन वापसी में विलम्ब, सेवाओं की पूर्णता की तिथि या उपयोगकर्त्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति की तिथि के 20 दिन बाद से इनमें से जो भी पहले हो, गिनी जाएगी । प्राधिकरण के आदेश में धन वापसी की परिभाषा को नहीं दर्शाया गया है ।

(ii) (क) धन वापसी छूट के कारण पैदा होती है जो उपयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित के प्रति प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है:

(क क) आयतन, अधिक मात्रा में लाने-ले जाने, टी टी, शिप गियर और पोतान्तरण के लिए कन्टेनरों को

(क ख) वार्षिक मात्रा आधार पर सीमेंट जैसे सामान्य कार्गो को,

(क ग) कम गहरी सूखी (कम पानी वाली) गोदी में आने वाले पोतों को गोदी-भाड़ा प्रभार पर ।

(ख) अनुमत छूट उपयोगकर्त्ताओं को नियमित धन वापसी नहीं है । इसे उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदान किया जाता है । इसलिए, इस प्रकार की धन वापसियों पर दण्ड-ब्याज का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता । छूट की मद में धन वापसियों पर समुचित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है और पत्तन उपयोगकर्त्ता के खाते में जमा कर दी जाती है ।

(iii) पत्तन द्वारा गलत बिल बनाकर देने से भी धन वापसी पैदा होती है । यदि दावे के सत्यापन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि के 20 दिन बाद जेएनपीटी द्वारा धन वापसी की जाती है तो उपयोगकर्त्ता (उस पर) 13.5% की दर से दण्ड-ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है । अभी तक उपयोगकर्त्ताओं ने, विलम्बित धन वापसी पर दण्ड ब्याज के लिए अपेक्षित रीति से अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है ।

(iv) कुछ उपयोगकर्त्ताओं के जेएनपीटी में रिवोल्विंग डिपोजिट एकाऊँट हैं और वे अपनी देयता संबंधी आकलन के अनुसार पत्तन में एक निश्चित समयावधि उसमें धन जमा करते रहते हैं । यदि उपयोगकर्त्ता अपने जमा खाते में उपलब्ध अत्यधिक राशि का दावा करते हैं तो पत्तन ऐसी अत्यधिक राशि की धन वापसी, उपयोगकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के आधार पर कर देता है ।

4. जेएनपीटी द्वारा की गई टिप्पणियों की एक प्रति मानसा को प्रतिपूरक सूचना के रूप में भेजी गई थी ।

5. इस प्रकरण में एक संयुक्त सुनवाई 27 जुलाई 2004 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी । उस संयुक्त सुनवाई में मानसा और जेएनपीटी ने अपने-अपने पक्ष रखे ।

6.1. संयुक्त सुनवाई में यह सहमति हुई थी कि जेएनपीटी, मानसा के परामर्श से, अनुमत प्रोत्साहन / मात्रा - आधारित छूट और प्रभारित सम्मिश्र शुल्क की तुलना में पत्तन द्वारा सेवा-अवयव न प्रदान करने के कारण पैदा हुई छूट में अंतर स्पष्ट करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत

करेगा । जेएनपीटी ने एक अनुस्मारक के बाद दिनांक 7 सितम्बर 2004 के अपने पत्र द्वारा उत्तर दिया । जेएनपीटी की प्रस्तुति और कथित रूप से मानसा द्वारा कायम रखी गई स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जेएनपीटी	मानसा द्वारा कायम स्थिति
(i)	<u>**पोतान्तरण कन्टेनरों के प्रहस्तन के लिए समेकित प्रभारों पर छूट**</u>	
(क)	अधिसूचित प्रशुल्क के अनुसार 3000 टीईयू 6000 टीईयू, 9000 टीईयू और 9000 से अधिक टीईयू की समयबद्ध मात्रा (थ्रूपुट) हासिल करने पर अन्तरीय दर लागू की जानी चाहिए । प्रासंगिक प्रशुल्क मद के अन्तर्गत नोट के अनुसार उपयोगकर्त्ता द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में लाए गए कुल टीईयू पर दर आधारित होती है और यदि किसी पोतान्तर कन्टेनर का स्तर एक सामान्य आयात कन्टेनर के रूप में बदलता है तो पोतान्तरण कन्टेनरों की संख्या में आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए । इस समय जेएनपीटी अधिकतम दर पर बिल तैयार कर रहा है और कन्टेनर का स्तर पता लगाने के बाद ही छूट दी जा सकती है ।	चूंकि प्रशुल्क विभिन्न दर प्रदान करता है, जेएनपीटी के लिए यह संभव होना चाहिए वह उपयोगकर्त्ताओं को उनकी समयबद्ध मात्रा की उपलब्धी के अनुसार बीजक भेजे । ली गई अधिक राशि का या तो तुरंत भुगतान कर दिया जाए या विलम्ब होने पर उसे दण्ड ब्याज के अधीन कर दिया जाए ।
(ख)	इसीलिए, प्रचालन विभाग की मासिक रिपोर्ट के अनुसार प्रहस्तित, टीईयू की पुष्टि के बाद ही जेएनपीटी द्वारा पोतान्तरण कन्टेनरों पर छूट की गणना की जाती है । वर्तमान बिलिंग सॉफ्टवेयर में प्रासंगिक मॉडयूल के अभाव में, जेएनपीटी को छूट-राशि की धन वापसी अगले माह के भीतर तक करने की अनुमति दी जा सकती है । (मासिक रिपोर्ट पर कार्यवाही करने और प्रत्यक्ष भुगतान द्वारा या क्रैडिट नोट द्वारा धन वापसी करने के लिए जेएनपीटी को 30 दिन का समय)	
(ग)	जेएनपीटी अभी भी एक अनुकूल लेखा कार्यक्रम तलाश कर रहा है ताकि इन छूटों का निपटान करने के लिए एक सुचारू प्रक्रिया पर विचार किया जा सके ।	-------
(घ)	जेएनपीटी पुन: जोर देता है कि चूंकि छूट का भुगतान अधिक यातायात आकर्षित करने के लिए किया जाता है, इस मद पर दण्ड-ब्याज के प्रावधान पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए ।	-------
(ii)	<u>**मात्रा आधारित छूट**</u> प्रति पोत एक छूट सुनिश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए मात्रा आधारित छूट का भुगतान किया जाता है न कि वार्षिक समयबद्ध मात्रा पर । बिलिंग माडयूल में किसी विशिष्ट कार्य विधि के अभाव में, मात्रा-आधारित छूट की गणना करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होते हैं: (क) पोतवार प्रहस्तित कुल टीईयू की पुष्टि । (ख) कार्गो प्रहस्तित प्रभारों से संबंधित बीजक प्रस्तुत करना । (ग) निर्यात टीपी कन्टेनरों सहित पोत के लिए बिल में शामिल कन्टेनरों के कुल प्रहस्तन पर विचार करना किन्तु इनमें से किसी विशेष पोत के लिए शट आऊट और टी-पी कन्टेनरों को बाहर रखना ।	विभिन्न प्रधानों को प्रशुल्क की जानकारी है और यदि अपेक्षित आरम्भिक समयबद्ध मात्रा प्राप्त कर ली जाती है वे प्रशुल्क स्तर से आगे किसी भी घटाए जाने को स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए, छूटों का भुगतान 20 दिनों के भीतर ही करना होगा ।
	हालांकि, मात्रा आधारित छूट देने के लिए, माल उतारने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रहस्तित कन्टेनरों की संख्या जानी जाती है, एक विशेष पोत के समक्ष कन्टेनर संबंधी सभी मदों के बिल तैयार हो जाने के बाद कन्टेनर प्रहस्तन प्रभारों सहित पोत के समक्ष लगाए जाने वाले कुल प्रभार को जाना जा सकता है । इसलिए पोतवार समुचित समाधान अपेक्षित है । इन सबमें समय लगता है । जेएनपीटी समुचित समय में मात्रा-आधारित छूट जारी करता आ रहा है और जेएनपीटी का अब भी यह विचार है कि इस प्रकार की छूट पर दण्ड ब्याज का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए ।	-----
(iii)	<u>**लगाए गए सम्मिश्र शुल्क के समक्ष पत्तन द्वारा सेवा अवयव न प्रदान करने से प्रोदभूत छूट**</u> टीटी, शिप गियर, यार्ड में रीच स्टेकर आपरेशन लंगर बांधना और लंगर खोलना इत्यादि सेवाएँ जब पत्तन देने में असमर्थ होता है तो ये सेवाएँ उपयोगकर्त्ताओं द्वारा स्वयं कर ली जाती हैं । उपयोगकर्त्ताओं द्वारा स्वयं प्रदत्त इन सेवाओं की मद में धन वापसी, उपयोगकर्त्ताओं द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत कर देने के बाद, 20 दिन के भीतर, दण्ड ब्याज के बिना, की जानी है । जेएनपीटी को इस प्रावधान का पालन करने में कठिनाई है और वह इस अवधि को 20 दिन के स्थान पर 30 दिन तक बढ़ाने का अनुरोध करता है । उथले जल की गोदी में पोत के लंगर डालने के लिए गोदी भाड़े में छूट के मामले में, जेएनपीटी अपेक्षित राशि को, पोत संबंधी प्रभारों के लिए तैयार किए जा रहे बीजक में क्रैडिट कर देगा क्योंकि इस प्रकार के ब्यौरे पोत के यात्रा पर निकल जाने के बाद सामान्यत: 24 घण्टों के भीतर मैरीन डिपार्टमैंट से प्राप्त हो जाते हैं । जेएनपीटी गलत बिलिंग के कारण और प्रणाली समस्याओं के कारण धन वापसी के दावों को टीएएमपी द्वारा पहले से लागू किए गए स्थापित प्रावधानों के अनुसार चुकता करेगा ।	-----

6.2. जेएनपीटी ने बताया है कि वह ऊपर बताए गए विभिन्न बिन्दुओं पर मानसा से आंशिक रूप से सहमत है और उसने उपरोक्त सारणी में (iii) पर वर्णित छूट के भुगतान के लिए 20 दिन की प्रतीक्षा अवधि के अलावा 10 दिन और स्वीकृत करने का अनुरोध किया है ।

7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित अपनाई गई प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड में उपलब्ध है । सम्बद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के सारांश प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे । ये विवरण हमारे वैबसाइट www.tariffauthority.org पर भी उपलब्ध होंगे ।

8. इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के दौरान एकत्रित हुई सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है:

(i) सरकार द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण ने न्याय-निर्णयन के लिए अलग-अलग पक्षों की याचिकाओं पर विचार करना बंद कर दिया था । तथापि सरकार ने, तत्पश्चात स्पष्ट किया है कि यह प्राधिकरण दरमान से संबंधित आदेशों के विषय में व्याख्या / स्पष्टीकरण के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार कर सकता है ।

जेएनपीटी अधिसूचित प्रशुल्क और सम्बद्ध सशर्तताओं के अनुसार छूट की योजनाएँ चला रहा है । यह ध्यान देने योग्य है कि मानसा ने इस प्राधिकरण से पत्तन द्वारा छूट के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की देनदारी के विषय में स्पष्टीकरण मांगा है । इस पृष्ठभूमि में, मानसा से प्राप्त याचिका को एक प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया था और अपनाई गई सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इस प्रकरण पर कार्रवाई की गई ।

(ii) समानता के सिद्धांत पर जोर देते हुए इस प्राधिकरण ने विलंबित भुगतानों पर दोनों ओर से अर्थात पत्तन उपयोगकर्त्ताओं की ओर से और पत्तन न्यास की ओर से, दण्ड ब्याज का निर्धारण करते हुए 4 फरवरी 2000 को एक आदेश जारी किया था । तत्पश्चात कुछ प्रमुख पत्तन न्यासों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए, दण्ड ब्याज की दर और छूट-अवधि में परिवर्तन करने के लिए कुछ अवसरों पर इस आदेश में संशोधन भी किए गए थे । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस विषय में पारित आदेश सभी पत्तनों द्वारा सामान्य रूप से अपनाने के लिए है । तत्पश्चात, जेएनपीटी द्वारा व्यक्त कठिनाइयों पर विचार करते हुए, इस प्राधिकरण ने जेएनपीटी को, 23 मार्च 2000 से 30 सितम्बर 2001 तक की अवधि के लिए दण्ड ब्याज लगाने से संबंधित आदेश को लागू करने से छूट प्रदान कर दी ।

(iii) लगाए गए एक सम्मिश्र शुल्क या जहाँ प्रभार्य प्रशुल्क कुछ अन्य गतिविधियों / सुविधाओं के लिए निर्धारित दरों का एक भाग है, के समक्ष पत्तन द्वारा सेवा-अवयवों को न प्रदान, करने के कारण प्रोद्भूत विलम्बित धन वापसी पर दण्ड-ब्याज संबंधी प्रावधान लागू करने से संबंधित मामले में पत्तन और मानसा के बीच कोई असहमति नहीं है ।

तथापि पत्तन ने, कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए वर्तमान छूट अवधि को 20 दिन से बढ़ा कर 30 दिन करने का अनुरोध किया है । वर्तमान दण्ड ब्याज का प्रावधान पिछले कुछ समय से न केवल जेएनपीटी में बल्कि अन्य प्रमुख पोतों में भी चला आ रहा है । जेएनपीटी ने वर्तमान व्यवस्था से इधर-उधर होने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं प्रस्तुत की हैं । बिलिंग मोड्यूल को अद्यतन करना, सॉफ्टवेयर इत्यादि प्रक्रियात्मक मुद्दे जेएनपीटी के नियंत्रण में हैं और उसे इनके लिए समुचित निवारणात्मक उपाय करने चाहिए ।

(iv) जेएनपीटी के दरमान के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्त्ता समयबद्ध मात्रा की एक सुनिश्चित मात्रा प्राप्त करने हेतु पोतान्तरण कन्टेनरों के प्रहस्तन के लिए समेकित प्रभारों के छूट के और यदि वे पोत के प्रत्येक आगमन के साथ एक सुनिर्धारित मात्रा प्राप्त कर लेते हैं तो प्रोत्साहन के अधिकारी हैं । जेएनपीटी लगातार यह कहता आ रहा है कि छूट और प्रोत्साहन को धन वापसी के रूप में अर्हता नहीं मिलेगी और वे दरमान में निर्धारित प्रभारों पर कटौती मात्र हैं ।

(v) जैसाकि पहले बताया गया है, जेएनपीटी अधिसूचित प्रशुल्कों और ऐसी योजनाओं को शासित करने वाली सम्बद्ध सशर्तताओं के अनुसार प्रोत्साहन योजनाएँ चला रहा है । पत्तन के अधिसूचित दरमान में अन्य मदों की तरह इस प्रकार की अधिसूचित योजनाएँ भी विलम्बित धन वापसी पर दण्ड ब्याज से संबंधित अधिसूचित प्रावधानों के अधीन है । इस स्थिति में, प्रोत्साहन की मद में प्रोद्भूत धन वापसियों के साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता बल्कि वे दरमान में निर्धारित वर्तमान प्रावधानों के भीतर ही आएंगी ।

(vi) जैसाकि मानसा ने ठीक ही उल्लेख किया है, अधिसूचित प्रशुल्क पोतान्तरण कन्टेनरों के प्रहस्तन की मद में पत्तन द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए अवरोधी पैमाने पर अन्तरीय दरों का प्रावधान करता है । एक अन्य क्षेत्र, जहाँ पत्तन की प्रोत्साहन-योजना है, उपयोगकर्त्ताओं को पोत के प्रत्येक आगमन पर एक सुनिश्चित मात्रा प्राप्त कर लेने पर छूट देना है । चूंकि भुगतान की जाने वाली दरें सुनिश्चित हैं, एक बार निर्धारित शर्तें पूरी हो जाने पर भी उपयोगकर्त्ता से अधिकतम दर भुगतान करते रहने की अपेक्षा करना और बाद में ग्राह्य छूट के लिए, जो अनुमत की जाएगी प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं होगा । किसी पक्ष द्वारा समयबद्ध मात्रा की निर्धारित शर्तें पूरी कर दी गई हैं या नहीं, इसका सत्यापन करने के लिए पत्तन द्वारा आविष्कृत आंतरिक प्रक्रिया में, यदि कोई दोष या त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए उपयोगकर्त्ता पर बोझ न डाला जाए ।

(vii) प्रभारों की धन वापसी के लिए कार्रवाई करने हेतु जेएनपीटी द्वारा विचारित प्रक्रिया पत्तन की आन्तरिक समस्या है । उनके द्वारा अदा की गई ग्राह्य प्रशुल्क से अधिक राशि एक यथोचित समय सीमा के भीतर वापिस मिल जाना उपयोगकर्त्ताओं का अधिकार है । किसी पत्तन द्वारा बिलिंग प्रक्रिया पूरी करने हेतु अपेक्षित यथोचित समय को मान्य करते हुए इस प्राधिकरण ने पत्तन द्वारा ली गई अतिरिक्त राशि की धन वापसी को पूरा करने हेतु पहले ही 20 दिन का समय अनुमत किया हुआ है । तिस पर भी यद, धन वापसी हेतु उपयोगकर्त्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन है । यदि इस प्रकार लेन-देन एक सुनिश्चित समय सीमा के भीतर सम्पन्न नहीं किया जा सकता है तो पत्तन को विलम्ब के लिए दण्ड ब्याज देना होगा । वर्तमान (समय-सीमा) निर्धारण में कोई परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती ।

9. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से, और समग्र विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि विलम्बित धन वापसी पर दण्ड ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधान जेएनपीटी के दरमान के प्रावधान, दरमान में प्रदत्त छूटों, मात्रा आधारित कटौतियों और प्रोत्साहनों के संदर्भ से प्रोद्भूत सभी धन वापसियों को समाहित करता है । इसलिए ऐसे प्रभारों की धन वापसी में दण्ड ब्याज के भुगतान को शासित करने वाले दरमान में निर्धारित समय सीमा से कोई भी विलम्ब होने पर जेएनपीटी द्वारा दण्ड ब्याज देय होगा ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन /III/IV/143/04-असाधा.]